Form No. III

फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

श्रीमती भगवतीबाई वगैराह **बनाम** **श्रीमती प्रेमकंवर वगैराह**

कार्यवाही :– अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम, 1994

किस्म मुकदमा **निगरानी (पंचायत)** नं0 **039** सन् **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील निगराकार हाजिर। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली विगत 03.12.2019 से वास्ते तलबी हेतु नियत है। इस प्रकार प्रकरण में गैर–निगराकार संख्या 01 की तलबी कराये जाने में निगराकारान पूर्णतया असफल रहे है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष पत्रावली का निगराकारान के व्यतिक्रम में निस्तारण के अलावा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, किन्तु निगराकारान द्वारा निगराधीन पट्टे को जारी किये जाने के संबंध में विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा कारित किये जाने का तथ्य उठाया जाकर हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी का गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के विधिक प्रावधान प्रावधित किये गये है, किन्तु गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व गैर–निगराकारान को सुमचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना विधि द्वारा प्रावधित है एवं हस्तगत प्रकरण में निगराकारान गैर–निगराकार संख्या 1 की तलबी कराये जाने में पूर्णतया असफल रहे है, अतः निगराधीन पट्टे ग्राम पंचायत पाण्डोली पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा पट्टा संख्या 3396 जारी दिनांक 19.11.1990 जो क्षेत्रफल 30 गुणा 45 फीट बाबत् विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण का समुचित परीक्षण कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र हैं, इसके साथ ही हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। अहकाम प्रति विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 10.09.2024	त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official